# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 14/2023**

**जी.सी.एम.एस. : 2023/62**

| अपीलान्ट– | बनाम | रेस्पोडेन्ट– |
|---|---|---|
| अमराराम गोद पुत्र हीराराम जाति चौधरी निवासी बुसी तहसील रानी जिला पाली | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी<br>2. मोहनी देवी पत्नी गंगाराम जाति चौधरी (सीरवी) सोनाई मांझी तहसील पाली। |

**"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"**

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के. चौधरी।

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 28/11/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार रानी द्वारा ग्राम बुसी के नामान्तरकरण संख्या 3216 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.12.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशर एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट, गलाराम का जायन्दा पुत्र है। गलाराम के सगे भाई स्व. हीराराम व हीराराम की पत्नी दाकु ने अपीलाण्ट को नाबालिग अवस्था में दिनांक 21.01.2000 को जरिये पंजीबद्ध गोदनामा के गोद लिया था और उसके बाद अपीलाण्ट स्व. हीराराम व दाकु की जीवनभर सेवा चाकरी करता रहा एवं हीराराम व दाकु का देहान्त हो जाने पर सामाजिक रिति रिवाज से अपने दायित्व निभाये। ग्राम बूसी के खसरा संख्या 399/01, 311, 423/12, 423/20, 423/04, 46/04 की भूमि पर अपीलाण्ट का भौतिक कब्जा है और अपीलाण्ट नाबालिग अवस्था से आज दिन तक उक्त भूमि पर खेती करता आ रहा है। उक्त कृषि भूमि स्व. मेघाराम पुत्र नवलाजी सीरवी की खातेदार भूमिं थी एवं स्व. मेघाराम के 6 पुत्र छतराराम, गलाराम, अचलाराम, हीराराम, पुनाराम व सालगराम व पुत्रियां मगी बाई, रम्बा बाई थी, जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण 6 पुत्रों के नाम से स्वीकृत होने पर जैर आराजी स्व. हीराराम को प्राप्त हुई। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि का स्व. दाकु को वसीयत करने का कोई हक

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिकार प्राप्त नहीं था। अपीलाण्ट की माता दाकु का देहान्त दिनांक 09.11.2022 को होने के पश्चात् अपीलाण्ट के पुत्र गोविन्द, जो कि पुना में निवासरत है की तबीयत खराब होने पर अपीलाण्ट को सपरिवार पुना जाना पड़ा उस दौराने रेस्पोडेण्ट मोहनी देवी ने फर्जी वसीयत दिनांक 28.04.2011 के आधार पर अपीलाधीन आदेश केवल अपने पक्ष में स्वीकृत करवा दिया, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को ग्राम बुसी आने पर हुई एवं जानकारी होने पर नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अन्दर म्याद अपील पेश की। अपीलाण्ट का गोदनामा आज भी प्रभावी है, ऐसी स्थिति में उक्त कृषि भूमि का मालिक केवल अपीलाण्ट है। रेस्पोडेण्ट मोहनी देवी, स्व. हीराराम की जायन्दा पुत्री नहीं होकर उनके भाई सालगराम की पुत्री है, इसलिये जैर अपील स्वीकार फरमाते हुये शून्य वसीयतनामें के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत दिनांक 28.04.2011 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि रेकर्ड एवं दस्तावेज जांच अनुसार सही पाये जाने पर स्वीकार किया गया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि दाकु ने वसीयत मोहनी देवी के पक्ष में की है और उसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा उक्त वसीयत को कही पर भी चुनौती नहीं दी गई है। अपीलाण्ट पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर आये है तथा अपीलाण्ट ने दाकु के जीवन काल में कभी भी जैर आराजी के सम्बन्ध में कोई क्लेम नहीं किया। अमराराम अपने पैतृक पिता गलाराम की सम्पति में भी क्लेम कर रहा है और रेकर्ड में भी उसके पिता का नाम गलाराम अंकित है। अपीलाण्ट के गोदनामा दिनांक 21.01.2000 का है जिसमें अमराराम की उम्र 28 वर्ष अंकित है जबकि राशनकार्ड में अमराराम की उम्र 52 वर्ष अंकित है। पंजीबद्ध वसीयत को चुनौती नहीं देकर सीधे अपील के जरिये अपीलाधीन आदेश को निरस्त करवाने आये है, जो कि विधिविरूद्ध है। रेस्पोडेण्ट मोहनी देवी दाकु के साथ ही निवास करती थी तथा उनकी देखभाल व सेवा चाकरी करती थी इसलिए दाकु ने अपने जीवनकाल में अपनी भतीजी के पक्ष में वसीयत की थी तथा कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलाण्ट ने बिना किसी विधिक आधार के जैर अपील पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार रानी द्वारा ग्राम बुसी के नामान्तरकरण संख्या 3216 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.12.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनिमय, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद

अति. जिला कलेक्टर पाली

का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करते के पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अपीलाण्ट स्व. दाखुदेवी का गोदी पुत्र था उसके उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट ने फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो कि विधिनुसार है। उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अमराराम पुत्र गलाराम को हीराराम एवं उसकी पत्नी दाखूदेवी ने जरिये पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 21.01.2000 के द्वारा गोद लिया था जिस पर अपीलाण्ट के पैतृक पिता गलाराम, अपीलाण्ट एवं गोद लेने वाले के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है, जिससे यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट को हीराराम एवं उनकी पत्नी के द्वारा गोद लिया था, उभयपक्ष ने उक्त गोदनामें को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किये है अर्थात् वर्तमान में उक्त गोदनामा प्रभावी है। उस अनुसार उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हीराराम की सम्पत्ति में अपीलाण्ट एवं उसकी गोदी माता दाखू का बराबर हिस्सा बनता है। प्रकरण में अपीलाण्ट की स्वीकारोक्ति और अपील मीमों में लिखित कथन है कि हीराराम का देहान्त होने पर उनके फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये सम्पूर्ण आराजी उनकी पत्नी दाखूदेवी के नाम दर्ज की गई उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। उस अनुसार उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हीराराम की सम्पत्ति में अपीलाण्ट एवं उसकी गोदी माता दाखू का बराबर हिस्सा बनता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने उस फौतेदगी नामान्तरकरण को चुनौती नहीं देकर वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को न्यायालय में चुनौती दी है। अपीलाधीन आदेश जिस वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है, वह वसीयत वर्तमान में प्रभावी है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने उज्र किया कि अपीलाण्ट, जैर आराजी में अपने पैतृक पिता की सम्पत्ति का भी उपयोग कर रहा है, और अपने गोदी पिता की सम्पत्ति के लिये भी दावा कर रहा है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत ग्राम बूसी तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खसरा संख्या 424 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि में अपीलाण्ट, अमराराम पुत्र गलाराम के नाम से बतौर सह खातेदार दर्ज है और पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 21.01.2000 के अनुसार अपीलाण्ट के पैतृक पिता का नाम गलाराम है अर्थात् अपीलाण्ट, अपने पैतृक पिता की सम्पति का भी उपयोग कर रहा है साथ ही अपने गोदी पिता की सम्पति में हक अधिकार का दावा कर रहा है। यदि गोद लेना पूर्णतया वैध और पूर्ण हो, तो व्यक्ति अपने पैतृक पिता की सम्पति पर कोई दावा नहीं कर सकता जबकि अपीलाण्ट दोनों की सम्पत्तियों में दावा कर रहा है जो कि विधिनुसार विपरीत स्थिति पैदा करता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट की यह स्वीकारोक्ति है कि जैर आराजी पुश्तैनी थी और हीराराम के पिता फौत होने पर हीराराम को जैर आराजी में 1/6 हक हिस्सा प्राप्त हुआ और उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ परन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण को देखने पर पाते है कि जैर आराजी खसरा संख्या 423, 445 में दाखूदेवी का 1/6 हक–हिस्सा तथा खसरा संख्या 399/1, 411, 423/12, 423/20, 423/4, 446/4 का सम्पूर्ण रकबा दाखूदेवी पत्नी हीराराम के नाम दर्ज है अर्थात् अपीलाधीन आराजी केवल दाखूदेवी पत्नी हीराराम के नाम दर्ज थी और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी रूप में प्राप्त सम्पति महिला की पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पति मानी जाएगी और ऐसी सम्पति का वह अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकती है। इसी अनुसार दाखूदेवी ने पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 28.04.2011 के द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को मोहनीदेवी पुत्री सालगराम के पक्ष में वसीयत कर दी। उक्त वसीयतन को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो अथवा वर्तमान में यह वसीयत अस्तित्व में नहीं है, ऐसे कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्रथमदृष्टया विधिनुसार प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद अधिकारों को लेकर है और अधिकारों का निस्तारण नामान्तरकरण अपील के जरिये तय नहीं होगे। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसेडिंग है, जिसमें किसी व्यक्ति के हक अधिकार तय नहीं होते। जैर आराजी में अपीलाण्ट के हक अधिकार खातेदारी घोषणा से ही तय किये जा सकते है न कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा। सम्पत्ति के मालिकाना हक, हिस्सेदारी व बंटवाडे जैसे विवादों को तय करने का प्राधिकार सिविल न्यायालय को होता है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 से 141 में नामान्तरकरण दायर किए जाने के प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि "नामान्तरकरण केवल रेकर्ड के अद्यतन के लिये है, नामान्तरकरण के जरिए हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं।" माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तरकरण स्वामित्व या हक का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 2013 SC 456 Surendra Singh vs State of U.P. के अनुसार Mutation entry in revenue records is not conclusive proof of ownership of agricultural land. The Rightful method to determine ownership is by filling a suit in civil court. इसी तरह AIR 1997 SC 2719 Balwant Singh vs Daulat Singh के अनुसार Mutation of name in revenue record does not create or extinguish title, nor has it any presumptive value on title. जहां तक किसी व्यक्ति के खातेदारी हक, हकूकों का प्रश्न है, तो विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण के जरिए अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिए ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, जो वाद में पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर कायम की गई तनकीयात एवं उन पर संग्रहित साक्ष्यों के पश्चात तनकीयात

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विनिश्चय के आधार पर होने वाले निर्णय पर संभव है। इन समस्त तथ्यों एवं न्यायिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर अपील में बल नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली